पीठासीन अधिकारी
भागीरथ राम (आरटीएस)

मि.न.– 88/2018

दिनांक–7.2..2019

सरकार बनाम रामशरण वगै0

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायलान अनुपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का नांगल पण्डितपुरा ने एक रिर्पोट इस आशय कि पेश कि है कि सम्वत 2075 में वाके ग्राम टमोरीवास तहसील कोटपूतली के ख0 न0 307 रकबा 47.16है0 किस्म जमीन गै0 मु0 नदी मेंसे 0.02है0 पर रामकरण पुत्र सुलतान व सुलतान पुत्र सरदारा निवासी ढाणी कसाणा ग्राम नांगडीवास तहसील कोटपूतली जिला जयपुर ने झोंपडी व बोंरिग कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायलान को विधिवत LR\ACT 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गये । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायलान उपस्थित नहीं आये । इसलिए गैरसायलान के विरूद्व एक पक्षिय कार्यवाही की जाती है।पत्रावली में संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का रिपोर्ट पर गौर किया तो विवेचन में पाया कि पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट भू– अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच के उपरान्त पेश की गई है। जिसके अनुसार खसरा नंबर 307 वाके ग्राम टमोरीवास की किस्म गै0 मु0 नदी दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिस पर अतिक्रमण कर नदी के स्वरूप को क्षति पहूचाने का है जिसमे माननीय उच्च न्यायालय राज0 द्वारा डी.बी. सिविल रिट पीटीसन न.1536/2013 अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में निर्णय दिनांक 2.8.2004 में गै0मु0 नदी0 ,तालाब, जोहड,भराव,बहाव क्षेत्र की 1947की स्थिति कायम रखने के आदेश प्राप्त हैं।

अतः गैरसायलान रामशरण पुत्र सुलतान , सुलतान पुत्र सरदारा निवासी ढाणी कसाण ग्राम नांगडीवास तहसील कोटपूतली जिला जयपुर द्वारा वाके ग्राम टमोरीवास के खसरा नंबर 307/47.16 है0 में से 0.02है0 किस्म जमीन गै0 मु0 नदी पर झोंपडी व बोरिंग कर अतिक्रमण अवैध अतिक्रमण सिद्व होता है अतः अतिक्रमियों के विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिक्रमियों के विरूद्व कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्तन्न होगी ।

तहसीलदार (भू0 अ0)
कोटपूतली (जयपुर)

अतः रामशरण पुत्र सुलतान , सुलतान पुत्र सरदारा जाति निवासी ढाणी कसाणा ग्राम नांगडीवास तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को वाके ग्राम टमोरीवास तहसील कोटपूतली के ख0 न0 307/47.16है0,किस्म जमीन गै0 मु0 नदी मे से 0.02है0 पर अतिकमी धोषित करते हुये उक्त आराजियात पर बनाई गई झोंपडी को ध्वस्त कर तथा बोंरिग को मौके सीज कर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथा नाजायज रूप से अतिकमण करने के आरोप में लगान राशी 0.22रूका पचास गुणा 11 रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है।

निर्णयानुसार बेदखली,पैनल्टी हेतु भू0 अ0 नि0 व पंटवारी हल्का को तहरीर जारी हो व माग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखा कार को लिखा जावे । उक्त बोंरिग पर जारीशुदा विधुत कनैक्शन की कनैक्शन विच्छैद की कार्यवाही हेतु सहायक अभियन्ता ज0वि0वि0नि0लि0कोटपूतली को लिखा जावे। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखील दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 7.2.19 को सरे इजलास सुनाया गया ।

तहसीलदार (भू0 अ0)
कोटपूतली (जयपुर)

वर्ष 2018 .. 0.15 ... के रा० ल० ले
में पृष्ठ संख्या ... 6 ... पर ... 11 रु
रुपये कायम किये गये ।

राजस्व लेखाकार
कोटपूतली